

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013के
नियम-17 (क) के अनुसार

ई-मेल: ceonainital11@gmail.com

दूरभाष : 05942-248469

कार्यालय- मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल

पत्रांक:-मान्यता / 290 / निजी विद्यालय / 2021-22

दिनांक- 07-04-22

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
द हेरिटेज स्कूल,
लामाचौड़, हल्द्वानी
जनपद- नैनीताल।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 (2)के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) नियमावली, 2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक -20.03.2013 के क्रम में आपके पत्र दिनांक रहित पत्र द्वारा आपके विद्यालय द हेरिटेज स्कूल, लामाचौड़, हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद- नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या- 399 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

7/4/22
मुख्य शिक्षा अधिकारी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल